


2/11/19

तारीख रजू

राधावल्लभ वगैरा

बनाम

रमेश देवी वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>04.09.2019</p>	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जबाव पेश होने तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख न 208 बाके ग्राम भोजपुरा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिती बनाये रखे करे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 30 .10.2019 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 30.10.2019 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) </p> <p>30/10/19</p> <p> साबिक आदेश दिनांक 4.9.19 की यासना में पत्रावली वास्ते तलबी रजि. 5575 ख. 1000 दिनांक 27/11/19 को पेश हो ही </p> <p> साबिक आदेश दिनांक 4.9.19 की यासना में पत्रावली वास्ते तलबी रजि. 5575 ख. 1000 दिनांक 27/11/19 को पेश हो तलबाना पत्र 18/19 रजि. 5575 ख. 1000 </p>	<p>DN 732 10/10/19</p> <p>रजि. 5575 28/11/19</p> <p>1000 9/11/19</p>

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर अहकाम की तामील</p>
<p>11/10/22</p> <p>रिमाई एवं नों की की रिपोर्ट मसौदा 22 को जोड़े हुए पचा-रिमाई वाक्य के साथ 2 (आपलगाव)</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>वकुलाय इपाहिरा 7 जर्नल - पज 212RAB 168 जब वकुलाय वुडकी गडी जर्नल पज 212RAB जब दोन वकल प्रतिवादी अधिकता में दावा के मामले लउ गइ डिमे जाने पर लिखित खतरा की गडी कर, जर्नल पज 212RAB का अडलोकन किमा विधायन अधिकता को की वकल पर मनन किमा गभो। अतः जर्नल 212RAB में जारी रजगन। एते आदेश दिनांक 04-09-2019 को दावा को फैसला निर्णय लउ रिमाई किया जाता है। खतरा के आधार पर पत्रावली को फैसल शुमार होकर नबल ले कर ए वकल वुडकी गडी वकल के साथ लिखित रिमाई (सुनाम)</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>अधिकारी कठूर (अलवर)</p>	